कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त अशोक नगर जयपुर दक्षिण

क्रमांक :— दिनांक 21.10.2020

श्रीमान पुलिस उपायुक्त
जयपुर दक्षिण

विषयः— परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार के सन्दर्भ में।
प्रसंगः— राजस्थान सम्पर्क परिवाद क्रमांक 10200678722308 दिनांक 06.10.2020 के क्रम मे।

महोदय ,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रसंगीय परिवाद के सन्दर्भ मे निवेदन है कि परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार के परिवाद को पुलिस थाना ज्योतिनगर जयपुर दक्षिण भेजकर रिपोर्ट प्राप्त की गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दौराने जांच परिवादी श्री ज्ञानेश कुमार को बयान हेतु जरिये मोबाईल नं 98283476151 पर सम्पर्क सम्पर्क किया गया तो परिवादी ने बताया कि मेरा काम नही है बयान देना मै थाने पर नही आउगा हमारा काम समाचार पत्रों मे मुददे उठाना है। इससे पूर्व भी कई बार ऐसे समाचार पत्रों मे मुददे उठाये है। मै तो आज तक कही बयान देने नही गया ओर नाहि मै बयान देने का इच्छुक हूँ। उक्त परिवाद के संबंध मे ही थाना हाजा पर पुर्व में मोहन सिह टाडा का परिवाद प्राप्त हुआ था इसके उपरान्त कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त अशोकनगर जयपुर दक्षिण में एक परिवादी श्री चुन्नी लाल का मोहन सिंह टाडा के विरूद्ध प्राप्त हुआ था जिसकी जांच एसीपी अशोकनगर द्वारा की गई। परिवादी श्री चुन्नी लाल प्रोपर्टी मैनेजर एसएमएस इन्वेस्टमेन्ट कॉ. प्रा. लि. का इस आश्य का प्राप्त हुआ कि ''अम्बेडकर सर्किल गोल्फ ग्राउण्ड वेस्ट–बी स्थित है। उक्त ग्राउण्ड एसएमएस इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन प्रा.लि. को पूर्व महाराजा श्री सवाई मानसिंह ने दिनांक 10 अप्रैल 1968 को जरिये रजिस्टर्ड लीज डीड दिया था। तत्पश्चात माननीय सर्वोन्य न्यायालय ने जयपुर राजघराने की एचयूएफ सम्पत्तियों पर एडमिनिस्ट्रेटर कम रिसिवर दिनांक 06.11.1992 को नियुक्त कर दिया था। उक्त ग्राउण्ड भी माननीय सर्वोच्य न्यायालय के आदेशानुसार रिसिवर सम्पत्ति है जिसे रिसिवर साहब ने पूर्व लीजडीड दिनांक 10.04.19968 के आधार पर हमारी कम्पनी को यथावत दे रखा है। मैं उक्त सम्पत्ति पर प्रोपर्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। उक्त सम्पत्ति एसएमएस इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन ग्राउण्ड वेस्ट–बी पर जाने के 2 रास्ते है, एक जनपथ से व दूसरा ग्राउण्ड के उत्तर पूर्व से गेट बना हुआ है। उत्तर पूर्व वाले गेट प्रारम्भ से ही हमारी कम्पनी का ताला लगा रहता है और जब आवश्यकता होती है तो हम उसे खोल देते है। उक्त ग्राउण्ड के लगवार हमारी एक सम्पत्ति जो वर्तमान में पाणिग्रहण के नाम से जानी जाती है स्थित है। उक्त सम्पत्ति हमारी कम्पनी ने दिनांक 16 जून 2003 को श्री मोहन सिंह टाडा को जरिये एग्रीमेन्ट लाईसेन्स डीड के द्वारा 5 वर्ष के लिए दी थी। अर्थात 16 जून 2003 से 15 जून 2008 के लिए उक्त तथाकथित पाणिग्रहण की सम्पत्ति उन्हें लाईसेन्स पर दी थ। उक्त लाईसेन्स वर्ष 2008 में ही समाप्त हो गया। उसी के आधार पर श्री मोहन सिंह टाडा जो कार्यवाही कर रहे है वह गलत है। उक्त सम्पत्ति की लाईसेन्स डीड के अनुसार श्री मोहन सिंह टाडा को केवल पाणिग्रहण का सम्पूर्ण एरिया ही लाईसेन्स एग्रीमेन्ट पर दिया था। जिसमें हमारी कम्पनी के उक्त एसएमएस इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन वेस्ट–बी ग्राउण्ड से

तथाकथित पाणीग्रहण की जो सम्पत्ति श्री मोहन सिंह टाडा को दी है से कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। उक्त दोनो सम्पत्तियाँ पृथक–पृथक है। श्री मोहन सिंह टाडा व हमारी कम्पनी के मध्य विभिन्न न्यायिक प्रकरण न्यायालय में विचारणीय है। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल फर्स्ट अपल नम्बर 175/2018 में माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश गुप्ता ने दिनांक 28.05.2019 को मौका कमीश्नर श्री अमित जिन्दल ने मौका रिर्पोट बनाई थ जो साथ सेलग्न है। जिसमें विवाद ग्रस्त सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण अंकित है। उक्त मौका रिर्पोट निरीक्षण में हमारी कम्पनी की सम्पत्ति एसएमएस ग्राउण्ड बी का कोई सम्बन्ध सरोकार माननीय कमीश्नर श्री अमित जिन्दल ने नहीं दर्शाया है। यही नहीं उक्त मौका कमीश्नर रिर्पोट पर स्वंय श्री मोहन सिंह टाडा ने भी हस्ताक्षर किये है इससे बखुबी साबित हो जाता है कि तथाकथित पाणिग्रहण व हमारी कम्पनी की उक्त सम्पत्ति एसएमएस वेस्ट–बी ग्राउण्ड दोनो पृथक–पृथक है और दोनो सम्पत्तियों का लीज बाबत आपस में कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है। यही नहीं श्री मोहन सिंह टाडा ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो प्रार्थना पत्र शपथ पत्र दस्तावेजात, एग्रीमेन्ट प्रस्तुत किये है उनसे कही इस तथ्य का अंकन नहीं किया है कि हमारी उक्त सम्पत्ति उनके उपयोग उपभोग व कब्जे में है। हमारी कम्पनी उक्त ग्राउण्ड 15 अगस्त, 26 जनवरी व अन्य राष्ट्रीय कार्य{मों में श्रीमान कलेक्टर के निवेदन पर निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है। उक्त ग्राउण्ड के गेट की चाबी जब कभी भी राष्ट्रीय आयोजन होता है तो आपके सम्बन्धित थाना पुलिसकर्मी हमारे कार्यालय से लेकर जाते है। अगर उक्त ग्राउण्ड श्री मोहन सिंह टाडा के पास होता तो श्रीमान कलेक्टर जयपुर व जेडीए व अन्य विभाग हमारी कम्पनी से उक्त परिसर की अनुमति नहीं लेते व श्री टाडा जी से सम्पर्क करते। उक्त सम्पत्ति हमारी कम्पनी की सम्पत्ति है जिसका ेट हम सदैव बन्द रखते है जब कभी आवश्यकता होती है तब हम खोल लेते है अगर उक्त गेट खुला हुआ रहता है तो नगर निगम कचरा डम्प कर देते है व असामाजिक तत्व अनाधिकृत ढंगग से घुसकर अनैतिक कृत्य करने का अन्देशा रहता है। इसलिए अधिकाश बन्द रखा जाता है। मारी कम्पनी व श्री मोहन सिंह टाडा के मघ्य उक्त सम्पत्ति पाणिग्रहण का विवाद माननीय न्यायालय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और मौका कमश्नर रिर्पोट व अन्य दस्तावेजात, तथ्य आदेश माननीय न्यायालय के समक्ष है। यदि ऐसे में यह माना भी जाये कि हमारी कम्म्नी द्वारा कोई कानून विरूद्ध कृत्य किया है तो प्रार्थी श्री मोहन सिंह टाडा को माननीय न्यायालय के समक्ष आगामी कार्याही करने का व माननीय न्यायालय के आदेश की अवेहलना करने पर कन्टैम्प्ट की कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। श्री मोहन सिंह टाडा मात्र पुलिस के जरिये हमारी उक्त सम्पत्ति पर अनाधिकृत कार्यवाही करवाना व कब्जा करना चाहता है। श्री मोहन सिंह टाडा ने आपके समक्ष जो प्रार्थना पत्र दिया है वह लत व भ्रामिक प्रार्थना पत्र दिया है। उक्त सम्पत्ति एसएमएस ग्राउण्ड वेस्ट–बी हमारी अधिकारिक सम्पत्ति है जिसका श्री मोहन सिंह टाडा को अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरे गार्डो ने मुझे बताया कि परसों रात को ही कुछ असामाजिक तत्व इस मंशा से आये कि उक्त गेट जो बन्द पडा है उसको तोड दे जिस पर मेरे गार्डो ने उन्हें रोका तो वे मेरे गार्डो के साथ बदसलुकी, गाली गलौच करने लग गये और पत्थर फेंक जिससे मेरे गार्डो के हाथ पाव पर चोटे आ गई और गार्डो को मारने की एलानिया धमकी देते हुए कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना मारे जाओगे हम यह गेट तोडें और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर हमारे गार्डो को सुरक्षा प्रदान करने एवं हमें न्याय दिलाने का श्रम करें।

आदि परिवाद की जाँच आरम्भ की गई दौराने जाँच परिवादी श्री चुन्नी लाल व अपरिवादी श्री मोहन सिंह टाडा के जाँच बयान लिये गये तथा मौके पर जाकर स्थित को देखा गया। परिवादी कम्पनी व श्री मोहन सिंह टाडा के मध्य पाणिग्रहण सम्पत्ति के हुये एग्रीमेन्ट ऑफ लाईसेन्स की प्रति प्राप्त की गई उक्त एग्रीमेन्ट ऑफ लाईसेन्स के क्लोज 19 में उल्लेखित किया हुआ है कि लाइसेंसधारी जब लाईसेंसदाता से वाहन पार्किंग की जगह हेतु अनुरोध करेगा तो लाईसेंसदाता द्वारा लाईसेंसधारी को पार्किंग हेतु जगह उपलब्ध करवायेगा। परिवादी कम्पनी एसएमएस इन्वेस्टमेन्ट व श्री मोहन सिंह टाडा के मध्य विभिन्न न्यायालयों तथा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन न्यायिक प्रकरणो की प्रतियाँ दोनो पक्षो द्वारा पेश की गई। जिनका अवलोकन किया गया।

सम्पूर्ण जाँच व मौका निरीक्षण से पाया गया कि परिवादी कम्पनी एसएमएस इन्वेस्टमेंट कारर्पोरेशन प्रा.लि. व श्री मोहन सिंह टाडा के बीच पाणिग्रहण सम्पत्ति को लेकर आपस में विवाद है। उक्त विवाद का सिविल वाद माननीय उच्च न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में विचारणीय है। माननीय उच्च न्यायालय में विचारणी एस.बी. सिविल फर्स्ट अपील नम्बर 175/2018 में आगामी तारीख 17.02.2021 नियत है।

रिपोर्ट श्रीमान की सेवामे अवलोकनार्थ प्रेषित है।

सहायक पुलिस आयुक्त
अशोक नगर जयपुर दक्षिण